




फर्द अहकाम

यालय

UCO Bank बनाम रामकरणी

दमा संख्या / वर्ष : 94 / 2021

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23 ¹² / ₂₁	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाप करीकेतिका Po महो. आज्ञा दिग्ग राजकार्य में व्याप्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार वास्तविक दिनांक 25-1-22 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">  सीडर न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर </p>	
	25 ¹ / ₂₂	<p>पत्रावली पेश हुई। कोरोना संक्रमण के कारण स्थानीय राजस्व मण्डल अजमेर/वार एलेक्ट्रिसियंसन के द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित किए जाने पर अंतरित तारीख पेशी की गई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24-3-22 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">  सीडर न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर </p>	
	24-3-22	<p>पत्रावली पेश हुई। प्राचीन बैंक की कोर्ट से कोई आवृत्ति नहीं है। विपक्षी अधीन उपरोक्त पत्रावली को अवलोकन किया जाकर प्राचीन बैंक द्वारा धारा 14 के प्राधान्य पत्र के समाप्ति के लिये एग्जिमेन्ट प्रीपैरि पेश नहीं की गई है। अतः धारा 14 किन्ना रिटार्ड जेबान एक्ट - 2002 के तहत अनुसृत प्रा-पत्र को खारिज किया जाता है। प्राचीन बैंक प्राधान्य सिद्ध है। प्राधान्य पत्र पेश करने के लिए तैयार है। पत्रावली नोटबंद से संभ है।</p> <p style="text-align: right;">  जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर </p>	